अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम सं. 2, बूंदी
दीवानी वाद संख्या 1096 / 2014
बूंदी ट्रेक्टर प्रा.लि. / राधेश्याम

04.02.2026

अधिवक्ता पक्षकारान् उपस्थित।वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सी पी सी मय फर्द / किता दस्तावेजात के पेश किया व जाहिर किया कि यह दस्तावेज वादी के लंबे समय से बीमार होने की वजह से पत्रावली मेंपेश नहीं हो पाये थे लेकिन यह दस्तावेजात इस दावे से संबंधित है तथा इनके फर्जी व बनावटी होने की कोई संभावना नहीं है अतः रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।प्रार्थना पत्र की नकल प्रतिवादी पक्ष को दिलाई।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब आज ही पेश किया गया तथा कथन किया गया कि यह दस्तावेजात 14 साल तक न्यायालय मेंपेश नहीं किये गये है तथा वादी ने ट्रेक्टर का बीमा व रजिस्ट्रेशन किस हक से पने पास रखे यह स्पष्ट नहीं किया है। इन दस्तावेजात को देरी से पेश करने का कारण भी दर्शित नहीं किया है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

दोनों पक्षों को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जो दस्तावेजात इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये है वे ट्रेक्टर के हिसाब का विवरण ,डिलीवरी चालान तथा ट्रेक्टर का बिल असल पेश किये गये है। जिनमें हिसाब के विवरण की प्रति दावे के साथ पूर्व में पेश कर दी गई थी। इसी प्रकार राधेश्याम की ओर से दी गई तहरीर असल एवं फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति नोटेरी से तस्दीकशुदा प्रतिलिपि है। यह दस्तावेजात वास्तव में दावे के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेज है, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। यह सही है कि इन दस्तावेजात को देरी से पेश किया परंतु न्यायालय के समक्ष पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में प्रस्तुत दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसे दिनांक 07.08.2025 को पुनः नम्बर पर लिया गया है। ऐसे में इन परिस्थितियों को देखते हुए उपरोक्त वर्णित दस्तावेज 500/- कोस्ट जो कि प्रतिवादी को अदा की जायेगी रिकार्ड पर लिये जाने की अनुमति दी जाती है। परंतु ट्रेक्टर के बीमा की फोटो प्रति एवं फाईनेंस से प्राप्त डी.डी. की

04.02.26
अपर जिला न्यायाधीश
क्रम संख्या 2, बूंदी (राज.)

	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम सं. 2, बून्दी दीवानी दावा संख्या 1096 / 2014 बूंदी ट्रेक्टर प्रा.लि. / राधेश्याम	

	फोटो प्रति रिकार्ड पर लिये जाने की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।प्रार्थना पत्र इस प्रकार निरतारित किया जाता है। पत्रावली आदेश दिनांक 31.01.2026 के अनुसरण में नियुक्त कमिश्नर श्री वरूण आर्य न्यायालय से प्राप्त कर वादी के बयान उक्त आदेशानुसार दर्ज कर पुनः पत्रावली न्यायालय को सुपुर्द करें। वास्ते पत्रावली प्राप्त तथा पेश होने बयान वादी समय 4.30 पी एम पर पुनः पेश हो। 04.2.26 अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)	
04.02.2026	समय 03.45 पी.एम.। अधिवक्ता पक्षकारान पुनः न्यायालय के समक्ष उपस्थित। सिविल लिपिक श्री आनंद सिंह द्वारा पत्रावली न्यायालय के समक्ष पेश की गई तथा बयान कमिश्नर श्री वरूण आर्य द्वारा बयान मय रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश किये गये। बयान व रिपोर्ट शामिल पत्रावली किये गये। गवाह पीड–01 बलदेव सिंह के बयान पूर्ण हो चुके है। वादी ने साक्ष्य हेतु एक अवसर और चाहा एवं गवाह कैलाश चंद गुप्ता का शपथ पत्र पूर्व से ही पत्रावली पर पेश होना जाहिर किया। समस्त परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में गवाह को पेश करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। आगामी पेशी पर गवाह के अनुपस्थित रहने की सूरत में साक्ष्य वादी समाप्त कर दी जावेगी। पत्रावली वादी साक्ष्य वादी में दिनांक 06.02.2026 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)	